

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
	<p>आगामी पुत्रवाई तारीख को पालना न करने पर गुणखगुण पर पत्रावली को निर्दिष्ट कर दिया जायेगा। पत्रावली 21/6/23 को पेश हो</p> <p>21-6-23 पत्रावली पेश हुई बाड़ी-पत्रिका की वकील अफिया श्रीमान पी.का. उमाय कश्यप से अपील है पत्रावली पत्रिका पुर्नोत्सा (दिनांक 28-6-23) को पेश की गी</p> <p>28/6/23 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित उपर आये/आदेशिका का अवलोकन किया गया। जाहिर हुआ कि दिनांक 2/6/23 को वादी सं. 9 व प्रतिवादी सं. 3 व 7 की शर्त हो जाने की सूचना प्राप्त हो जाने के 1 वर्ष अतीत हो जाने के उपरान्त भी उनके विधिक प्रतिभाग को अधिलेख पर लेने की कार्यवाही अधिवक्ता द्वारा नहीं की गयी। स्पष्ट है कि अधिवक्ता वकील (वकील अनुभव प्राप्त करने के लिये नहीं है मात्र न्यायालय का समर्थन प्राप्त रहे है। अतः पत्रावली माद अधिवक्ता की द्वारा 120 के तहत खरिज की जाती है पत्रावली केवल पुनः</p>	

नम्बर व
अहकाम
हुकम की
में जारी

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हो नम्बर से कस भी प्रमाण
दाखिल इफ्त हो।
निर्णय लिखत प्रमाण से
इजलास हुताया गया। पुण

महाराष्ट्र अधीनस्थ न्यायालय, मुंबई
दस्तावेज संख्या: १२३/२०२४
दिनांक: १५/०५/२०२४